

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, राज.जयपुर

क्रमांक: एफ.9(119)लेखा/क्रय-ब/सर्जिकल उपकरण/2020-22/20759

दिनांक:- 18/02/2021


समस्त बोली प्रदाता।

विषय:- सर्जिकल उपकरण दर संविदा वर्ष 2020-22 के क्रम में Clarification/दस्तावेज उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:- निदेशालय द्वारा जारी समसंख्यक निविदा सूचना क्रमांक 18470 दिनांक 07.12.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा MSME से संबंधित शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः कॉटेड आईटम के संबंध में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार सलंगन प्रारूप "ख" में शपथ पत्र 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर दिनांक 19.02.2021 को सायं 3.00 बजे तक निदेशालय को ई-मेल(ई-मेल आई डी. director.ahd@rajasthan.gov.in & fa.ahd-rj@rajasthan.gov.in, fa.ahd-rj@nic.in) अथवा व्यक्तिगत रूप से अथवा पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार


(डॉ. विरेन्द्र सिंह)
निदेशक

क्रमांक: एफ.9(119)लेखा/क्रय-ब/सर्जिकल उपकरण/2020-22

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर एवं नोडल अधिकारी ई-प्रोक्यूरमेंट निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट एवं E-proc पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

वित्तीय सलाहकार

Form B
Format of Affidavit
(See clause 11)

IS/oAged Yrs.
residing at Proprietor/Partner/
Director of M/s do hereby solemnly
affirm and declare that :

(a) My/Our above noted enterprise M/s has been
issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum
Part - II by the District Industries Center
The acknowledgement No. is dated
and has been issued for manufacture of following items:

Name of Item	Production Capacity (Yearly)
(i)	
(ii)	
(iii)	
(iv)	
(v)	

(b) My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial
Memorandum Part - II has not been cancelled or withdrawn by
the Industries Department and that the enterprise is regularly
manufacturing the above items.

(c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and
machinery and is fully equipped to manufacture the above
noted items.

Place _____

Signature of
Proprietor/ Director Authorized Signatory
with RubberStamp and date

Note : If the cost of items to be procured/hired exceeds
Rs. 100000/- (Rupees One lakh), the Procuring Entity would be